प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2927-75

पत्रांक–एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / आई0ई0सी0–बी0सी0सी0 / 114 / 2018–19 दिनांक 19 06.2018

विषय–वित्तीय वर्ष 2018–2019 में संशोधित नवीन मातृ शिशु सुरक्षा (एम0सी0पी0) कार्ड, सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका एवं **केसशीट** के मुद्रण एवं उपयोग के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

अवगत कराना है कि श्री मनोज झलानी, ए0एस0 एण्ड एम0डी0, एन0एच0एम0, भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र सं0–T-13011/38/2011-CC and V(Part-1) दिनांक 08-05-2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में नवीन एम0सी0पी0 कार्ड के प्रयोग के निर्देश (प्रोटोटाइप संलग्न) प्राप्त हुये है। उक्त के क्रम में प्रदेश में नवीन एम0सी0पी0 कार्ड का मुद्रण किया जाना है।

नवीन संशोधित मातृ एवं शिशु सुरक्षा (एम0सी0पी0) कार्ड हेतु स्पेसिफिकेशनः–

कार्ड का साइज	4 इंच चौड़ा × 11.25 इंच लम्बा।
कागज	150 जी0एस0एम0 माइक्रोन सिंथेटिक पैपर, नॉनटियरेबिल, स्मजप्रूफ पेपर जिस पर किसी भी प्रकार के पेन से लिखा जा सके।
पृष्ठों की संख्या	40 (छपाई दोनों तरफ)–20 लीफलेट (कवर एवं बैक पेज सहित।
रंग / डिजाइन	चार रंग प्रिंटिंग / विभागीय नमूने के अनुसार बहुरंगीय
बाइडिंग	पृष्ठों की सेन्टर स्टिच / तीन स्थानों पर स्टेपलिंग
परफोरटेड लाइन से पृथक होने की व्यवस्था	अन्तिम 2 पृष्ठ (काउन्टर फाइल) के लिये।
पैकेजिंग	चिन्हित कार्टन बॉक्स मे उपलब्ध करायें ।
अतिरिक्त (**optional**)	कार्ड सुरक्षित रखने के लिये पारदर्शी लिफाफे की व्यवस्था

नवीन संशोधित एम0सी0पी0 कार्ड के उपयोग हेतु निर्देशः–

- भारत सरकार द्वारा माँ व बच्चे को एक ही इकाई मानते हुए विकसित एम0सी0पी0 कार्ड में गर्भावस्था के पंजीकरण से प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान, प्रसव पश्चात एवं बच्चे की 05 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाने वाली सभी अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं एवं जानकारियों के अंकन का प्राविधान किया गया है। अतः गर्भवती महिला से प्रथम भेंट / पंजीकरण के दौरान ही प्रारंभिक सूचनायें अंकित करते हुये उन्हें निःशुल्क मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड उपलब्ध करा दिया जाये। परिवार के सदस्यों को इन सूचनाओं के विषय में जानकारी भी दें। इसी समय सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका का वितरण भी सुनिश्चित किया जाये।
- संशोधित एम0सी0पी0 कार्ड में गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जाने वाली सेवायें– जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा कार्यक्रम एवं प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना तथा प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृ अभियान जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी भी उपलब्ध है। नियमतः क्षेत्रीय ए0एन0एम0 / स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस हेतु उत्तरदायी है। डी0एच0 / सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 स्वास्थ्य इकाइयों पर सीधे पहुँचने वाली गर्भवती महिला का पंजीकरण उसी स्वास्थ्य इकाई पर एम0सी0पी0 कार्ड भरते हुये किया जाना है। **समस्त चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को आगामी (ए0एन0सी0 / प्रसव / प्रसव पश्चात जांच / शिशु के टीकाकरण हेतु) भ्रमण में एम0सी0पी0 कार्ड साथ लाने हेतु प्रेरित किया जाना अपेक्षित है।**
- डाइरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) योजना के अनुसार राजकीय लाभ प्राप्त करने के लिये, प्रत्येक गर्भवती महिला के पास आधार लिंक बैंक खाता संख्या, एम0सी0टी0एस0 नं0, मोबाइल न0 की अनिवार्यता है। अतः गर्भवती महिला से द्वितीय भेंट के दौरान उनके एम0सी0पी0 कार्ड पर टीकाकरण, ए0एन0सी0 जांच, औषधि वितरण तथा अन्य आवश्यक पृविष्टयों का अंकन सुनिश्चित किया जाये।
- जिन महिलाओं के पास पंजीकरण के समय आधार कार्ड संख्या या बैंक खाता न हो उन्हें आगामी माह के वी0एच0एन0डी0 तक यह नम्बर प्राप्त कर एम0सी0टी0एस0 नं0 के साथ ही एम0सी0पी0 कार्ड पर अंकित करवाने के लिये प्रोत्साहित करें। आशाओं / ए0एन0एम0 को निर्देश दें कि प्रत्येक

स्थिति में प्रसव के पूर्व सभी गर्भवती महिलाओं के पास आधार कार्ड से लिंक्ड बैंक खाते चाहिए, जिसके लिये समय–समय पर ग्राम प्रधानों से भी विचार–विमर्श करें।

- प्रत्येक एम0सी0पी0 कार्ड पर ससमय मातृ एवं शिशु एम0सी0टी0एस0 नम्बर अंकित किया जाये। सभी प्रसव पूर्व जाँचों का विवरण एम0सी0पी0 कार्ड पर अंकित कराना सुनिश्चित किया जाना है। प्रसव जाँचों में ब्लड शुगर ओ.जी.टी.टी. प्रथम विजिट एवं द्वितीय विजिट (24 से 28 सप्ताह) के अन्दर करा कर, एच0आई0वी0, सिफलिस आदि एम0सी0पी0 कार्ड पर अंकित की जानी है। आयरन, कैल्शियम एवं एल्बेण्डाजोल की मात्रा एवं दिनांक का अंकन किया जाये एवं एनीमिया की स्थिति में आयरन सूक्रोज चढ़ाने की तिथि एवं खुराक का भी अंकन किया जाना आवश्यक है। जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं के कार्ड पर लाल बिन्दी/एच0आर0पी0 मुहर निशान लगाकर प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करें।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में DIO/ACMO-RCH द्वारा नवीन संशोधित एम0सी0पी0 कार्ड की उपलब्धता समस्त जनपदीय (राजकीय मेडिकल कॉलेज, एम0सी0एच0 विंग, जिला, उपजिला, ब्लॉक स्तरीय एवं अन्य) स्वास्थ्य इकाईयों तथा ग्रामीण व शहरी ग्राम/शहरी स्वास्थ्य व पोषण दिवस सत्रों पर भी सुनिश्चित की जाये। इस हेतु प्रिन्टिंग जनपद स्तर पर लाभार्थियों (गर्भवती महिलाओं) के लक्ष्य के अनुसार की जानी है। इस प्रकार स्वास्थ्य इकाइयों पर एम0सी0पी0 कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुये एम0सी0पी0 कार्ड में गर्भवती महिला की गर्भावस्था के प्रारम्भ से लेकर प्रसव तथा प्रसव पश्चात् बच्चे की ट्रैकिंग सुनिश्चित की जाये।

सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका

यह पुस्तिका गर्भवती महिलाओं को पंजीकरण के समय वितरित करने के लिये विकसित की गयी है इस पुस्तिका में सुरक्षित मातृत्व के लिये आवश्यक सभी बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है जिसमें गर्भावस्था के दौरान देखभाल, पोषण, सुरक्षित प्रसव की तैयारी, खतरे के चिन्ह, नवजात शिशु देखभाल, इन्फैन्ट एण्ड यंग चाइल्ड फीडिंग, प्रसव पश्चात देखभाल, नियमित टीकाकरण सारणी एवं परिवार नियोजन आदि सभी विषयों पर जानकारी समाहित है।

इस पुस्तिका में सभी जानकारियाँ चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित हैं एवं लेखन सीमित एवं सरल भाषा में है। इस पुस्तिका का उपयोग ए0एन0सी0/पी0एन0सी0 क्लीनिक में गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारियों हेतु स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण के दौरान किया जा सकता है। यह सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका सभी गर्भवती महिलाओं को पंजीकरण के समय दी जानी आवश्यक है। इस पुस्तिका की प्रिन्टिंग जनपद स्तर पर लाभार्थियों (गर्भवती महिलाओं) के लक्ष्य के अनुसार की जानी है।

मुद्रण स्पेसिफिकेशन–

पुस्तिका का साइज	8.22 से0मी0 X 5.85 से0मी0 (तैयार पुस्तिका ए–5) 8.25 से0मी0 X 11.75 से0मी0 (खुली पुस्तिका ए–4)
कागज	कवर पेज 300 जी0एस0एम0 बिल्ट रॉयल C2S- मैट कार्ड अन्दर के पृष्ठ 170 जी0एस0एम0 बिल्ट रॉयल C2S- मैट फिनिश
कलर	4+4 aqueous coating
लैमिनेशन	Matt-only on outer cover
बाइडिंग	सेन्टर स्टेपिल
डिजाइन	विभागीय नमूने के अनुसार बहुरंगीय

एल0–3, एल0–2 एवं एल0–1 प्रसव इकाइयों हेतु केसशीट–

प्रसूति सेवाओं की सूचना एकत्र करने में एकरूपता के लिये दिनांक 01 अक्टूबर 2017 से राज्य की सभी (एल0–3, एल0–2 एवं एल0–1) प्रसव इकाइयों में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नवीन केसशीट का प्रयोग प्रारम्भ किया गया है। इस हेतु जनपद स्तरीय प्रशिक्षण भी पूर्ण किया जा चुका है। कार्यक्रम की निरन्तरता के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2018–19 में केससीट का मुद्रण एवं उपयोग प्रस्तावित है (सॉफ्ट कॉपी सलंग्न)। कृपया आवश्यकतानुसार मुद्रण कराते हुये समस्त प्रसव इकाइयों पर इनकी उपलब्धता एवं उपयोग सुनिश्चित करायें।

मुद्रण स्पेसिफिकेशन–

पृष्ठ साइज	ए–4 शीट पर
कागज	80GSM
कलर	सफेद कागज पर
डिजाइन	उपलब्ध कराये जा रहे विभागीय नमूने के अनुसार रंगीन

वित्तीय व्यवस्था –

➢ प्रदेश में कुल सम्भावित 63,69,000 गर्भवती महिलाओं को पंजीकरण के समय सुरक्षित मातृत्व पुस्तिकाओं एवं एम0सी0पी0 कार्ड वितरित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिये एम0सी0पी0 कार्ड एवं सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका के मुद्रण हेतु एफ0एम0आर0 कोड–12.1.2 पर क्रमशः रू0 10/– एम0सी0पी0 कार्ड तथा रू0 20/–सुरक्षित मातृत्व बुकलेट की दर से मुद्रण हेतु कुल रू0–19,10,70,000.00 (रू0 उन्नीस करोड़ दस लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि उपलब्ध है।

➢ केस शीट के मुद्रण के लिये औसतन रू0 10/– प्रति केस शीट की दर निर्धारित है। समस्त प्रसव इकाईयों पर केसशीट की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को एल0–3, एल0–2 एवं एल0–1 प्रसव इकाइयों हेतु एफ0एम0आर0 कोड 12.1.3 के अन्तर्गत धनराशि रू0 3,00,00,000/– (रू0 तीन करोड मात्र) पूर्व में प्रेषित 04 माह की डैप में दी गयी स्वीकृति के अनुसार अनकमिटेड अनस्पेण्ट से व्यय करने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। (विवरण तालिका 1 में संलग्न) है। जनपद स्तर पर इस हेतु नियमानुसार टेण्डर आदि कर केस शीट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

कृपया नवीन संशोधित एम0सी0पी0 कार्ड, सुरक्षित मातृत्व बुकलेट तथा एल0–3,एल0–2एवं एल0–1 प्रसव इकाइयों पर उपयोग हेतु केसशीट के मुद्रण हेतु संलग्न स्पेसीफिकेशन के अनुरूप नियमानुसार टेण्डर के माध्यम से मुद्रण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये। जिन जनपदों में पूर्व में निर्धारित स्पेसीफिकेशन के एम0सी0पी0 कार्ड उपलब्ध है उनके द्वारा उपलब्ध कार्ड का उपभोग करने के पश्चात नवीन मुद्रित एम0सी0पी0 कार्ड का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

- मुद्रण के लिये 04 माह के डैप में निर्धारित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये। कोई भी भुगतान नगद नहीं किया जायेगा।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रयिा का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक– संशोधित मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड, सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका एवं केस शीट्स की सॉफ्ट कॉपी।

भवदीय,

Neeraj Shukla
(डॉ0 नीरज शुक्ला)
अपर मिशन निदेशक
तद्दिनांक।

पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/आई0ई0सी0बी0सी0सी0/114/2018–19

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
6. समस्त महा/उपमहाप्रबन्धक एवं वित्त नियंत्रक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
8. गार्ड फाईल।

(डॉ0 मनोज कुमार शुक्ल)
महाप्रबन्धक मातृ स्वा0

SM booklet & MCP card DAP sheet for year 2018-19

S. No.	District	Physical Targets: Expected ANC (SM Booklet and MCP Booklet)	SM booklet & MCP card Budget Sheet 2018-19: 12.1.2 SM booklet	12.1.2 MCP cards	Total SM & MCP booklet Budget for year 2018-19
1	Agra	1,34,400	26,88,000	13,44,000	40,32,000
2	Aligarh	1,25,600	25,12,000	12,56,000	37,68,000
3	Allahabad	1,94,600	38,92,000	19,46,000	58,38,000
4	Ambedkar Nagar	73,500	14,70,000	7,35,000	22,05,000
5	Amethi	62,000	12,40,000	6,20,000	18,60,000
6	Amroha (JP Nagar)	62,600	12,52,000	6,26,000	18,78,000
7	Auraiya	41,000	8,20,000	4,10,000	12,30,000
8	Azamgarh	1,36,800	27,36,000	13,68,000	41,04,000
9	Baghpat	35,000	7,00,000	3,50,000	10,50,000
10	Bahraich	1,49,400	29,88,000	14,94,000	44,82,000
11	Ballia	95,000	19,00,000	9,50,000	28,50,000
12	Balrampur	1,01,800	20,36,000	10,18,000	30,54,000
13	Banda	62,500	12,50,000	6,25,000	18,75,000
14	Barabanki	1,06,600	21,32,000	10,66,000	31,98,000
15	Bareilly	1,50,500	30,10,000	15,05,000	45,15,000
16	Basti	83,000	16,60,000	8,30,000	24,90,000
17	Bijnor	1,10,000	22,00,000	11,00,000	33,00,000
18	Budaun	1,21,600	24,32,000	12,16,000	36,48,000
19	Bulandshahar	1,13,900	22,78,000	11,39,000	34,17,000
20	Chandauli	63,200	12,64,000	6,32,000	18,96,000
21	Chitrakoot	31,600	6,32,000	3,16,000	9,48,000
22	Deoria	97,500	19,50,000	9,75,000	29,25,000
23	Etah	60,400	12,08,000	6,04,000	18,12,000
24	Etawah	44,400	8,88,000	4,44,000	13,32,000
25	Faizabad	76,800	15,36,000	7,68,000	23,04,000
26	Farukkhabad	62,100	12,42,000	6,21,000	18,63,000
27	Fatehpur	74,500	14,90,000	7,45,000	22,35,000
28	Firozabad	81,200	16,24,000	8,12,000	24,36,000
29	Gautam Buddha Nagar	62,000	12,40,000	6,20,000	18,60,000
30	Ghaziabad	1,01,400	20,28,000	10,14,000	30,42,000
31	Ghazipur	1,06,700	21,34,000	10,67,000	32,01,000
32	Gonda	1,22,000	24,40,000	12,20,000	36,60,000
33	Gorakhpur	1,34,300	26,86,000	13,43,000	40,29,000
34	Hamirpur	31,000	6,20,000	3,10,000	9,30,000
35	Hapur	44,500	8,90,000	4,45,000	13,35,000
36	Hardoi	1,42,800	28,56,000	14,28,000	42,84,000
37	Hathras	46,000	9,20,000	4,60,000	13,80,000
38	Jalaun	46,300	9,26,000	4,63,000	13,89,000
39	Jaunpur	1,23,000	24,60,000	12,30,000	36,90,000
40	Jhansi	46,300	9,26,000	4,63,000	13,89,000
41	Kannauj	49,000	9,80,000	4,90,000	14,70,000
42	Kanpur Dehat	42,700	8,54,000	4,27,000	12,81,000
43	Kanpur Nagar	93,300	18,66,000	9,33,000	27,99,000

प्रभाकर तिवारी
परामर्शदाता–वित्त
(मातृ–स्वास्थ्य)
एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०

12/06/2018

	Kasganj	49,700	9,94,000	4,97,000	14,91,000
	Kaushambi	60,600	12,12,000	6,06,000	18,18,000
	Kushi Nagar (Padrauna)	1,35,600	27,12,000	13,56,000	40,68,000
7	Lakhimpur Kheri	1,40,800	28,16,000	14,08,000	42,24,000
48	Lalitpur	43,000	8,60,000	4,30,000	12,90,000
49	Lucknow	1,11,200	22,24,000	11,12,000	33,36,000
50	Maharajganj	97,500	19,50,000	9,75,000	29,25,000
51	Mahoba	26,500	5,30,000	2,65,000	7,95,000
52	Mainpuri	54,200	10,84,000	5,42,000	16,26,000
53	Mathura	74,500	14,90,000	7,45,000	22,35,000
54	MAU	59,300	11,86,000	5,93,000	17,79,000
55	Meerut	1,03,000	20,60,000	10,30,000	30,90,000
56	Mirzapur	68,700	13,74,000	6,87,000	20,61,000
57	Moradabad	1,04,200	20,84,000	10,42,000	31,26,000
58	Muzaffar Nagar	81,000	16,20,000	8,10,000	24,30,000
59	Pilibhit	65,000	13,00,000	6,50,000	19,50,000
60	Pratapgarh	95,900	19,18,000	9,59,000	28,77,000
61	Raebareli	68,400	13,68,000	6,84,000	20,52,000
62	Rampur	75,500	15,10,000	7,55,000	22,65,000
63	Saharanpur	1,15,000	23,00,000	11,50,000	34,50,000
64	Sambhal	78,800	15,76,000	7,88,000	23,64,000
65	Sant Kabir Nagar	66,300	13,26,000	6,63,000	19,89,000
66	Sant Ravidas Nagar	46,700	9,34,000	4,67,000	14,01,000
67	Shahjahanpur	1,09,500	21,90,000	10,95,000	32,85,000
68	Shamali	41,000	8,20,000	4,10,000	12,30,000
69	Shravasti	61,000	12,20,000	6,10,000	18,30,000
70	Siddharth Nagar	1,26,300	25,26,000	12,63,000	37,89,000
71	Sitapur	1,62,900	32,58,000	16,29,000	48,87,000
72	Sonbhadra	67,800	13,56,000	6,78,000	20,34,000
73	Sultanpur	67,600	13,52,000	6,76,000	20,28,000
74	Unnao	80,600	16,12,000	8,06,000	24,18,000
75	Varanasi	88,100	17,62,000	8,81,000	26,43,000
	Total	**63,69,000**	**12,73,80,000**	**6,36,90,000**	**19,10,70,000**

प्रभाकर तिवारी
परामर्शदाता–वित्त
(मातृ–स्वास्थ्य)
एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०,

	Case Sheet DAP sheet for year 2018-19		
	District	Physical Targets	FMR code 12.1.3
		Expected Institutional Deliveries (Case Sheet)	Printing of case sheets to be used at at L1,L2,L3
1	Agra	59,000	5,90,000
2	Aligarh	54,000	5,40,000
3	Allahabad	82,000	8,20,000
4	Ambedkar Nagar	31,000	3,10,000
5	Amethi	36,000	3,60,000
6	Amroha (JP Nagar)	19,000	1,90,000
7	Auraiya	20,000	2,00,000
8	Azamgarh	59,000	5,90,000
9	Baghpat	15,000	1,50,000
10	Bahraich	70,000	7,00,000
11	Ballia	52,000	5,20,000
12	Balrampur	38,000	3,80,000
13	Banda	38,000	3,80,000
14	Barabanki	63,000	6,30,000
15	Bareilly	45,000	4,50,000
16	Basti	46,000	4,60,000
17	Bijnor	32,000	3,20,000
18	Budaun	59,000	5,90,000
19	Bulandshahar	49,000	4,90,000
20	Chandauli	28,000	2,80,000
21	Chitrakoot	21,000	2,10,000
22	Deoria	59,000	5,90,000
23	Etah	20,000	2,00,000
24	Etawah	37,000	3,70,000
25	Faizabad	40,000	4,00,000
26	Farukkhabad	24,000	2,40,000
27	Fatehpur	39,000	3,90,000
28	Firozabad	38,000	3,80,000
29	Gautam Buddha Nagar	20,000	2,00,000
30	Ghaziabad	18,000	1,80,000
31	Ghazipur	56,000	5,60,000
32	Gonda	61,000	6,10,000
33	Gorakhpur	72,000	7,20,000
34	Hamirpur	22,000	2,20,000
35	Hapur	10,000	1,00,000
36	Hardoi	67,000	6,70,000
37	Hathras	27,000	2,70,000
38	Jalaun	25,000	2,50,000
39	Jaunpur	65,000	6,50,000
40	Jhansi	31,000	3,10,000
41	Kannauj	29,000	2,90,000
42	Kanpur Dehat	25,000	2,50,000
43	Kanpur Nagar	43,000	4,30,000
44	Kasganj	23,000	2,30,000

प्रभाकर तिवारी
परामर्शदाता–वित्त
(मातृ–स्वास्थ्य)
एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०

	hambi	34,000	3,40,000
	shi Nagar (Padrauna)	66,000	6,60,000
	akhimpur Kheri	78,000	7,80,000
	Lalitpur	32,000	3,20,000
	Lucknow	62,000	6,20,000
50	Maharajganj	46,000	4,60,000
51	Mahoba	15,000	1,50,000
52	Mainpuri	26,000	2,60,000
53	Mathura	29,000	2,90,000
54	MAU	30,000	3,00,000
55	Meerut	29,000	2,90,000
56	Mirzapur	45,000	4,50,000
57	Moradabad	27,000	2,70,000
58	Muzaffar Nagar	32,000	3,20,000
59	Pilibhit	24,000	2,40,000
60	Pratapgarh	53,000	5,30,000
61	Raebareli	54,000	5,40,000
62	Rampur	23,000	2,30,000
63	Saharanpur	41,000	4,10,000
64	Sambhal	32,000	3,20,000
65	Sant Kabir Nagar	38,000	3,80,000
66	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	26,000	2,60,000
67	Shahjahanpur	41,000	4,10,000
68	Shamali	17,000	1,70,000
69	Shravasti	34,000	3,40,000
70	Siddharth Nagar	44,000	4,40,000
71	Sitapur	93,000	9,30,000
72	Sonbhadra	27,000	2,70,000
73	Sultanpur	45,000	4,50,000
74	Unnao	46,000	4,60,000
75	Varanasi	44,000	4,40,000
Total		30,00,000	3,00,00,000

प्रभाकर तिवारी
परामर्शदाता–वित्त
(मातृ–स्वास्थ्य)
एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०,